क्रम-संख्या---130

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 मार्च, 1994

चैत्र 4, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग---1

संख्या 509/सत्रह-वि---1-1(क)-2-1994

लखनऊ, 25 मार्च, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 24 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 17 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनःअधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (8) में, शब्द "या यथास्थिति मेरठ" के पश्चात् शब्द "जिसे 17 जनवरी, 1994 से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

नयी धारा 72-ग का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 72-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

मेरठ विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

"72-ग--दिनांक 17 जनवरी, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समान प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में मेरठ विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

अनुसूची का संशोधन

4--मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम-संख्या 6 के सामने स्तम्भ-2 में, शब्द "मेरठ विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

सचिव।

No.509(2)/XVII-V—1-1(KA)-2-1994

Dated Lucknow, March 25, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on Mrch 24, 1994.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1994

[U. P. Act No. 5 of 1994]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the [Forty-fifth] Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Prdesh State Universities (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 17, 1994.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (8), *after* the words "or Meerut" the words "which shall from January 17, 1994 be called Chaudhary Charan Singh University, Meerut", shall be *inserted*.

Amendment of section 2 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

3. *After* section 72-B of the principal Act, the following section shall be *inserted* namely :—

Insertion of new section 72-C

Transitory provisions on change of name of University of Meerut

"72-C. With effect from January 17, 1994 any reference to the University of Meerut in this Act, or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut".

4. In the Schedule to the principal Act, in column 2 against serial number 6, *for* the words "The University of Meerut", the words "Chaudhary Charan Singh University, Meerut" shall be *substituted*.

Amendment of the Schedule

U. P. Ordinance no. 2 of 1994

5. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 141 सा० विधा०–(3647)–1994–850 (मैक०)